

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-20-2-17


संख्या-12/प्रो-1202/13-सा0प्र0-2045 /वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 4685 दिनांक 27.6.2003 एवं 6068 दिनांक 13.6.2013 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ 4 एवं 5 में अंकित तिथि से क्रमशः पे-बैंड रू0 15600-39100/- ग्रेड पे रू0 6600/-में अथवा देय तिथि को लागू समकक्ष वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं पे बैंड रू0 15600-39100/- ग्रेड पे रू0 7600/- में अथवा देय तिथि को लागू समकक्ष वेतनमान में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है:-

क0 सं0	पदाधिकारी का नाम	कोटि कमांक	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री दयानन्द झा	59/08	09.8.99	17.11.01
2	श्री जगन्नाथ मंडल	42/11	06.03.04	सेवा निवृत्ति के कारण अविचारणीय।
3	श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी	103/11	09.8.99	09.05.04
4	मो0 मजरूल आलम	271/08	09.8.99	06.05.04
5	श्री राजेन्द्र चौधरी	131/11	09.8.99	12.06.04
6	श्री कौशलाधीश उपाध्याय	266/11	09.8.99	27.08.08
7	श्री अबरार अहमद कमर	269/11	09.8.99	27.08.08
8	श्री प्रभात कुमार सिन्हा	274/11	09.8.99	27.08.08
9	श्री कामेश्वर शुक्ला	275/11	09.8.99	27.08.08
10	श्री नन्दजी सिंह	278/11	09.8.99	27.08.08
11	श्री शिवदानी सिंह	280/11	09.8.99	04.09.08
12	श्री अजय कुमार सिंह	283/11	09.8.99	11.09.08
13	श्री रामकिशोर मिश्र	285/11	09.8.99	24.08.08
14	श्री गोपाल नारायण सिंह	291/11	09.8.99	27.08.08
15	श्री रावी रंजन	293/11	09.8.99	27.08.08
16	श्री रमेश प्रसाद	294/11	09.8.99	27.08.08
17	श्री मुनि लाल जमादार	328/11	09.8.99	26.12.09

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम 8 (1) के अनुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भीम प्रसाद)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प्रो-1202/13-सा0प्र0-2045/पटना, दिनांक- 20-2-17

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक,

आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/प्रशाखा-2, 8, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-4685, दिनांक 27.6.2003 के आलोक में जॉच कर यथा अनुमान्य वेतन पुर्जा निर्गत करें ।



सरकार के उप सचिव